न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2024

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
राणी बैवा भगा, जाति– जाति–रावणा राजपुत, (दरोगा)निवासी–वासन चौहान, तहसील व जिला–सांचौर		सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद व चेतन पुरोहित उपस्थित
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर।

:– निर्णय :– दिनांक :– 18.07.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा वासन चौहान में खेत खसरा संख्या 546 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा संख्या 547 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 548/726 रकबा 0.22 हैक्टेयर, जुमले रकबा 5.56 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीया का 115/556 वां हिस्सा आया हुआ है जो पुराने खेत खसरा संख्या 221 से नवसृजित किये गये है। प्रार्थीया का पति भगा जो प्रार्थीया के ससूर मूला पुत्र गोमाजी के जीवित रहते ही फौत हो चुके थे तथा घर में प्रार्थीया राणी सासु गंगा तथा ससुर मूला तीनों ही थे तथा मूला की फौतेदगी के पश्चात उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 31.05.1993 को भरा गया जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम भगा जो सही लिखा गया था तथा द्वितीय सेटलमेंट के वक्त भी प्रार्थीया के पति का नाम भगा सही लिखा गया। जमाबंदी संवत् 2060–2063 में भी राणी बैवा भगा सही इन्द्राज किया गया किन्तु जमाबंदी संवत् 2064–2067 में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा भुलवश त्रुटिवश गलती से प्रार्थीया के पति का नाम भगा के बजाय मूला लिख दिया गया के तत्पश्चात तमाम बनी प्रविष्टियों में प्रार्थीया के पति का नाम भगा की बजाय मूला लिख दिया गया जो एक मानवीय भूल है उसे सुधारा जाना न्यायसंगत है। उक्त त्रुटि की प्रार्थीया को पूर्व में जानकारी नहीं थी किन्तु अभी 1 माह पूर्व ऋण की आवश्यकता होने पर नकल लेने पर जानकारी हुई अन्त में प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी में प्रार्थीया के पति का नाम मूला की [illegible] लिखने का आदेश फरमावें। प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज [illegible] अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया। हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया भगा की धर्मपत्नी है तथा भगा के पिता का नाम मूला है किन्तु मुला के जीवित रहते प्रार्थीया के पति भगा की मृत्यु हो चुकी थी तथा घर में प्रार्थीया उसकी सासु गंगा व ससुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मूला तीनों ही थे तथा मूला की फौतेदगी के पश्चात उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 42 भरा गया जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम भगा लिखा गया जो सही है तथा जमाबंदी संवत् 2060–2063 में भी प्रार्थीया के पति का नाम भगा का सही इन्द्राज किया गया है। किन्तु जमाबंदी संवत् 2064–2067 में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थीया के पति का नाम भगा की बजाय मूला लिख दिया है जो एक त्रुटिवश लिखा गया होने से सुधारा जाना न्यायसंगत है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में सहमति प्रदान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति का नाम जमाबंदी संवत् 2064–2067 के खाता संख्या 83 में लिपिकिय भूल से राणी बैवा भगा के स्थान पर राणी बैवा मूला अशुद्ध दर्ज हो गया है। जिसकी रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना सही है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रार्थीया द्वारा पेश वर्तमान जमाबंदी मौजा वासन चौहान के खाता संख्या 61 में राणी पत्नी मूला हिस्सा 115/556 जाति–रावणा राजपुत दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम भगा व प्रार्थीया का आधार कार्ड जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम भगाराम व मौजा वासन चौहान में नामान्तरकरण संख्या 42 में प्रार्थीया के पति का नाम भगा व आधार जमाबंदी में भी प्रार्थीया के पति का नाम भगा जमाबंदी संवत् 2056–59 में प्रार्थीया के पति का नाम भगा जमाबंदी संवत् 2060–63 में भी प्रार्थीया के पति का नाम भगा दर्ज है किन्तु जमाबंदी संवत् 2064–2067 में प्रार्थीया के पति का नाम मूला दर्ज कर दिया गया है उपरोक्त तमाम दस्तावेज से प्रार्थीया के पति का नाम जमाबंदी संवत् 2064–2067 में मूला लिखा गया जो गलत व त्रुटिवश लिखा गया होना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर का आदेशित किया जाता है कि मौजा वासन चौहान के खेत खसरा संख्या 546 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा संख्या 547 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा संख्या 548/726 रकबा 0.22 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.56 हैक्टेयर भूमि में राणी पत्नी मूला की बजाय राणी [illegible] के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। उपरोक्त आशय की तहरीर [illegible] सांचौर [illegible] नाम जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:15:22 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner